Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

Knowledgeable Research
ISSN 2583-6633
Vol.02, No.06, January,2024
http://knowledgeableresearch.com/

किशोर अपचारिता एवं न्याय

अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
सहायक आचार्य
स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय
मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर

****

ABSTRACT:

भारत से किशोर अपचारिता वास्तव में अन्य विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है फिर सरकार ने इसमें उपयुक्त निवारण के लिये आवश्यक एवं यथास्थिति के अनुरूप् अधिनियमों को लागू किया तथा ऐसी संगठित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की स्थापना भी की जिसके अन्तर्गत ऐसे विधि विवादित किशोर उचित संरक्षण पा सकें तथा भावी जीवन में एक सार्थक जीवन जी सकें, यह पूर्णतया सत्य है कि बालक आदियुगीन जैसे का वैसा ही अबोध एवं निर्विकार है यदि उसे उस समय सावधानी पूर्वक सदाचारी डांचे में ढाला जाये तो उनकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं अध्यात्मिक मनोवृत्तियों का सर्वांगीण विकास होगा।

KEYWORDS: *किशोर, अपचारिता, भारत, न्याय*

****

प्रस्तावना:-

प्राचीन दंड शास्त्रों में वयस्क, अवयस्क, बालक, किशोर, वृद्ध एवं युवाओं आदि में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, अर्थात् समान दण्डविधि लागू थी। वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों में सामाजिक आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप अपराधिक न्याय प्रशासन में सुधारात्मक दंड पद्धति को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित में किशोर अपचारितों के साथ उदारता एवं सहानुभूति की नीतियों को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि देश के भविष्य को अभ्यस्त अपराधी बनने से रोका जा सके। पूर्व न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने कहा है कि ''बच्चों पर दया एवं सहानुभूति की जानी चाहिए, चूँकि बालक जन्मजात अबोध और निर्विकार होते हैं।'' अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर तमाम ऐसे उपाय अपनाये जा रहे हैं, जिससे इस समस्या का निराकरण प्रभावी बनाया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय दाण्डिक एवं सुधारागार आयोग के निर्देशन में किशोर अपराधियों के साथ उदारतापूर्ण न्याय परिलक्षित करने हेतु **1985** में

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा न्यूनतम मानक विहित किये है। राष्ट्रीय स्तर पर किशोर न्याय अधिनियम **1986** पारित कर अपचारी किशोरों को न्यायिक संरक्षण दिलाने का प्रयास किया गया है इसके अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) अधिनियम **2000** पारित कर पूर्ववर्ती अधिनियम का निरसन किया गया। पुनः सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें संशोधन भी किये गये हैं। वर्तमान में किशोर न्याय अधिनियम **2015** सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है।

किशोर अपचारिता का अर्थ एवं परिभाषा:-

किशोर अपचारिता के सम्बन्ध में ''अपचारिता'' शब्द अंग्रेजी के डेलीनक्वेन्सी का रूपान्तरण है, जिसे लैटिन शब्द डेलिनक्वेर से लिया गया है। जिसका शाब्दिक अर्थ 'विलोप करना'' रोमन समय में इसका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था, जो सौपे गये कार्य या कत्र्तव्य को करने में असफल रहते थे। सन् **1484** में डेलीनक्वेन्ट शब्द का प्रयोग विलियम काॅक्सन द्वारा परम्परागत अपराध दोषियों के लिये किया गया, जो वर्तमान में किशोर अपचारितों के लिए किया जाता है। किशोर अपचारिता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है ना ही दी जा सकती है। कुछ विद्वानों ने इसे इस प्रकार अभिकथित किया है-

सरल शब्दों में अपचारिता का अर्थ है 'समाज द्वारा प्रायः स्वीकृत आचरण के मापदण्डों से विचरित होना या ऐसा कृत्य या दुराचरण करना जो समाज की स्वीकृति मान्यताओं के विपरीत हो।'' समाजशास्त्री कोहेन के अनुसार ''अपचारिता से आशय उस प्रश्नगत आचरण से है जो नियमों के किसी संवर्ग से सम्बन्धित है।''काल्डवेल के अनुसार ''अपचारिता को किशोरों द्वारा किये जाने वाले कृत्य बताया गया है जिनके कारण वे राज्य के संरक्षणाधीन आ जाते हैं।''

किशोर अपचारिता के कारण:-

किशोर अपचारिता ने वर्तमान में विश्वव्यापी समस्या को जन्म दिया है जिसके निवारण हेतु विभिन्न उपचार अपनाये जा रहे हैं फिर भी ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वास्तव में अपचारिता आने के विभिन्न कारण हैं, जिनके प्रभाव से इनमें लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, जो चिंता का कारण है जो निम्नवत् हो सकते हैं-

1. आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण

2. फैशन परस्ती

3. वैवाहिक सम्बन्धों में शिथिलता

4. अशिक्षा एवं अज्ञानता

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

5. निर्धनता एवं पारिवारिक विघटन

6. जैविक तथा शारीरिक कारण

7. मीडिया एवं साहित्य

8. वेश्यावृत्ति

9. बालश्रम

10. अनैतिकता

11. एवं अन्य

किशोर एवं किशोरियों द्वारा किये जाने वाले अपचार अलग-अलग होते हैं। प्रायः किशोरों द्वारा जेब काटना, जुआखोरी, चोरी, क्रूरता, अश्लीलता, छेड़छाड़ आदि। जबकि अनैतिक लैंगिक कृत्य, घर से भाग जाना, कामचोरी, भड़काना इत्यादि किशोरियों के अपचार हैं। किशोरियों की अपेक्षा किशोर में इसका औसत अधिक पाया जाता है जो उनके जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है तथा पारिवारिक संगति परिवेश भी इनका मुख्य सहायक होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर किशोर न्याय संरक्षण:-

मानवतावादी सिद्धान्त के प्रणेता विधिशास्त्री वेन्यम के उदारवादी संकल्पनाओ ने किशोर अपराधियों के प्रति उदारवादी नीति अपनाने के लिए विश्व का ध्यानाकर्षण किया, जिनके तहत **1772** में ब्रिटेन ने किशोरों को रिक्थ प्रमाण पत्र, दान, वसीयत इत्यादि में सुविधायें प्रदान की। फ्रांस ने भी पूर्ण अपराधिक दायित्व के लिए **18** वर्ष आयु तय की तथा इंग्लैण्ड में मिस मेरी कारपेंटर के योगदान से सन् **1847** में हाउस आफ लार्डस द्वारा कल्याणकारी बाल कानून पारित किया गया तथा **1907** में प्रोवेशन आफ आफेन्डर्स एक्ट पारित किया गया तथा **1908** में किशोर न्यायालयों की स्थापना की गई है। अमेरिका में मेसेच्युसेट्रस राज्य के वोस्टन शहर में **1869** को स्टेट एजेन्टों की नियुक्ति किशोर न्याय हेतु की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा **1985** में अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान से किशोर न्याय संरक्षण के लिए न्यूनतम मानक स्वीकृति किये गये जो निम्नवत् हैं-

1. अपचारी किशोर को समुचित विधिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

2. किशोर अपराधियों को सामान्य जेलों में नहीं रखा जाना चाहिए।

3. विचारणपूर्व निरोध का केवल अन्तिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा **1948** एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की प्रसंविदाओं (**1966)** में मूलभूत स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों को समान संरक्षण प्रदान किया गया। न्यूयार्क में **1990** में शिशु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें उनकी उत्तरजीविता एवं विकास के संरक्षण को सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है।

भारत में किशोर न्याय व्यवस्था:-

भारत में किशोर अपचारिता एक जटिल समस्या है। फिर भी पाश्चात्य देशों की तुलना में इसका प्रतिशत काफी कम है। जिसका प्रमुख कारण भारतीय संस्कृति और आध्यात्म है जो भौतिकवादी देशों की अपेक्षा नैतिकता और अपनी प्रथागत आचरणों पर विशेष जोर देता है। स्वतंत्रता से पूर्व आयी गिरावट को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे उपबन्धों को अपनाने का प्रयास किया है जो उपयुक्त हो सकें और ऐसे अपराधिक कृत्यों से दूर रखा जा सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद **14** के अधीन सभी व्यक्तियों को समता का अधिकार प्रदान किया गया है**,** अनुच्छेद **15(3)** राज्य बच्चों एवं स्त्रियों के लिए विशेष विधि बना सकता है**,** जो समता के अधिकार का अपवाद है। अनुच्छेद **21(**ए) जो **86**वें संविधान संशोधन अधिनियम **2002** द्वारा जोड़ा गया**,** जो **14** वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध**,** अनुच्छेद **23** में मानव दुव्यापार में बच्चों के अनैतिक व्यापार को शामिल किया गया है। अनुच्छेद **24** बाल श्रम व जोखिमूपर्ण कार्यों से संरक्षण प्रदान करता है तथा अनुच्छेद **39(51** एवं (च) बालकों को समुचित गरिमामय वातावरण प्रदान करने का दायित्व राज्यों को प्रदान किया गया है।

भारत में किशोर के सन्दर्भ में 'अपचारिता' का वही अर्थ है जो वयस्क अपराधी के मामले में अपराध का होता है। प्रमुख अन्तर यह है कि वयस्क अपराधी का विचारण सामान्य दण्ड न्यायालय में होता है जबकि किशोरों द्वारा किये गये कुकृत्यों का विचारण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अनौपचारिक प्रक्रिया के अधीन किया जाता है। प्रारम्भ में किशोर न्याय संरक्षण हेतु राज्य स्तर पर ऐसे अधिनियम को लागू किया गया जो अपचारी किशोरों को संरक्षण प्रदान करने में सहायक थे। जैसे उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम **1951,** सौराष्ट्र बाल अधिनियम **1956,** मध्य प्रदेश बाल अधिनियम **1970** तथा केरल बाल अधिनियम **1973** इत्यादि। संघीय सरकार ने क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त कर समूचे राष्ट्र को एक समान बाल अधिनियम **1986** प्रदान किया जिसे ''किशोर न्याय अधिनियम **1986''** के नाम से जाना जाता है। जिसमें पुनः संशोधन क्रमशः **2000** तथा **2015** में किये गये। वर्तमान में किशोर न्याय अधिनियम **2015** सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है। इसके साथ-साथ अपराधी परिवीक्षा अधिनियम **1958** का लाभ भी किशोर अपचारियों को प्रदान किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973** की धारा **27** और **360** तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा **82** व **83** के उपबन्धों का लाभ किशोर अपचारी के हित में है। कोई बात अपराध नहीं है जो सात वर्ष से कम आयु के द्वारा की जाती है तथा सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम किशोर द्वारा किया गया कोई अतिचार अपराध नहीं होगा यदि किशोर की मानसिक परिपक्वता अपने आचरण के परिणाम को समझने में अक्षम है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण)

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

अधिनियम **2000** द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निहित न्यूनतम मानकों को विहित कर प्रभावी बनाने का काम किया तथा पूर्ववर्ती बाल अधिनियम **1986** में दर्शित 'अपचारी किशोर' शब्द के स्थान पर 'विधि विवादित किशोर' शब्द को स्थापित कर किशोर संरक्षण को प्रभावी बनाया तथा बिना लिंग भेदभाव के दोनों की आयु **18** वर्ष सुनिश्चित की है तथा इस परिभाषा में किसी प्राकृतिक एवं दैवीय आपदा में उपेक्षित किशोर को भी शामिल किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम **2015:** इसका उद्देश्य ''देखरेख तथा संरक्षण'' की आवश्यकता वाले बालकों को उचित देखभाल की व्यवस्था करना (उनके) संरक्षण और उनकी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के पोषण द्वारा उपचार, और न्यायनिर्माण तथा मामलों के व्ययन वाल मैत्री अवधारणा को स्वीकार किया उनके पुनर्वास, कल्याण, एवं संरक्षण पर पूरा ध्यान दिया गया है। अपचारी के भविष्य, एवं उपचार सहित विकास को सुनिश्चित किया गया है।

बाल अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना **2005** के अधिनियम द्वारा की गई जो बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास, असमर्थ बच्चे, बाल श्रम की समस्याओं के निदान में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। किशोर न्याय बोर्ड का गठन भी किशोर हित में किया गया है जो विधिक संरक्षक की तरह काम करता है तथा किशोर के सभी हितों को ध्यान में रखकर अपना निर्णय प्रदान करता है। किशोर न्याय बोर्ड की प्रक्रिया अनौपचारिक गुप्त होती है तथा अनुच्छेद **15** एवं **21** के अधीन इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है सीमित अपील भी एक संरक्षण है जो किशोर हित को वरीयता देता है।

किशोर न्याय का वैधानिक पक्ष एवं शीषस्थ न्यायालय:-

किशोर न्याय की संवैधानिकता पर काफी विवादास्पस की स्थिति पिछले कई दशकों से चली आ रही है अमेरिका में ''इन री होम्स''**1** के मामले में चैदहवें संविधान संशोधन के अधीन उचित प्रक्रिया के उल्लंघन की बात की गई थी, जिसमें निर्णय दिया गया था कि वह अधिकार किशोरों के प्रति लागू नहीं होते परन्तु दूसरे ''इन री होम्स''**2** के मामले में अपने पूर्ववती निर्णय को उलट दिया और कहा कि डयू प्रोसेस खण्ड तथा बिल आफ राइट्स वयस्क और अवयस्क दोनों के प्रति लागू होते हैं। भारतीय न्यायालयों ने भी अपने कई महत्वपूर्ण विनिश्चयों में यह प्रथमतः उल्लेखित किया कि किशोर अपराधियों के साथ उदारता एवं सहानुभूति बरतनी चाहिए और उन्हें सामान्य दण्ड विधि और सामान्य कारागार से अलग रखना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चत किये गये महत्वपूर्ण मामले -

1. रोहतास बनाम हरियाणा राज्य**3 (**ए.आई.आर. **1979):-** इसमें न्यायालय ने निर्णीत किया कि मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किशोर का भी विचारण किशोर न्यायालय में ही होना चाहिए।

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

2. रघुवीर बजाज बनाम हरियाणा राज्य**4** (ए.आई.आर. **1981):-** उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि किशोरों का विचारण प्रौढ़ अपराधियों के साथ संयुक्त रूप से विचारण करना उपयुक्त नहीं है अर्थात् निषिद्ध है।

3. संजय सूरी तथा अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन**5** (ए.आई.आर. **1988):-** इसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल में विचाराधीन किशोर कारावासियों की दुर्शशा के सम्बन्ध में न्यायालय ने कहा कि कारागार अधिनियम **1894** की धारा **27** के अन्तर्गत परिदर्शक - मंडल का गठन किया जाना चाहिए जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों तथा सक्रिय कार्यकत्र्ता, प्रसार माध्यमों से सम्बन्धित व्यक्ति, महिला समाज सेविकायें तथा न्यायिक प्राधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

4. गौरव जैन बनाम भारत संघ**6** (ए.आई.आर. **1992):-** इस मामले में जनहित याचिका के माध्यम से वेश्याओं के बच्चों के लिए पृथक शालायें और होस्टल की माँग की गई थी। निर्णय में न्यायालय ने कहा कि ऐसा करना उनके हित में नहीं होगा तथा उनके उपयुक्त परीक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की व्यवस्था करें तथा रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करें।

5. अजय प्रताप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य**7** (ए.आई.आर. **2000):-** उच्चतम न्यायालय ने अपील की सुनवाई में विनिश्चित किया कि जहाँ अभियुक्त द्वारा किशोर आयु का होने का तर्क प्रस्तुत किया हो वहाँ स्वयं न्यायालय उपयुक्त आयु की जाँच करेगा।

6. सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य**8** (ए.आई.आर. **2005):-** उपयुक्त मामले में किशोर सम्बन्धी दहेज हत्या से सम्बन्धित विचारण में सह अपराधी के रूप में आरोपित था। घटना **13/14** जून **1989** को घटित हुई थी जो किशोर न्याय अधिनियम **1986** की धारा **2(4)** तथा किशोर न्याय अधिनियम **2000** की धारा **20** के अन्तर्गत लाभ का अधिकारी था, क्योंकि अपचारी की आयु **17** वर्ष थी परन्तु अधिनियम के प्रभावी होने पर उम्र धारा से परे हो चुकी थी। अतः उच्चतम न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी।

7. प्रताप सिंह बनाम झारखण्ड राज्य**9** (ए.आई.आर. **2005):-** इस मामले में अरनित दास**10** के निर्णय को पलटते हुए निर्णीत किया कि अभियुक्त किशोर है या नहीं इसकी निर्णायक तारीख जिस दिन अपराध कारित हुआ है ना कि जिस दिन बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है।

8. राजन्दर चन्दर बनाम चण्डीगढ़ प्रशासन**11** (ए.आई.आर. **2004):-** यदि आयु के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत हों तो वही मत मान्य होगा जो किशोर के हित में होगा।

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

9. बालू उर्फ भवत्वत्सल बनाम तमिलनाडु**12 (**ए.आई.आर. **2008):-** इस वाद में उच्चतम् न्यायालय ने कहा कि यदि किशोर की आयु वर्तमान अधिनियम **2000** तथा संशोधित अधिनियम **2006** के अन्तर्गत **18** वर्ष से कम आयु का है तो उसे अधिनियम का लाभ मिलना चाहिए।

10. ज्योति प्रकाश राय बनाम बिहार राज्य**13 (**ए.आई.आर. **2008):-** दो चिकित्सीय बोर्डों द्वारा विवादास्पस स्थिति हो तो औसत के आधार पर विनिश्चित करना चाहिए। **4:1** की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट कहा कि अपराध कारित वाले दिन से गणना होगी।

किशोर अपचारिता का निवारण एवं सुधारक संस्थायें:-

किशोर अपचारिता के अन्तर्गत विचाराधीन किशोरों के संरक्षण एवं पुनस्थापन के लिए पूर्ववर्ती सभी अधिनियमों में कई प्रकार की व्यवस्थायें की गई थीं। क्या यह सर्व विदित है कि प्रौढ़ आपराधिकता का विकास किशोर अपचार से ही होता है, परन्तु यथार्थ में यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसे हजार स्त्री-पुरुष प्रौढ़ अपराधी होते हैं जो किशोर अपराधी कभी भी नहीं रहे। किशोर अपचारियों की आपरारधिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करके उनमें सुधार परिलक्षित करना कल्याणकारी राज्य व्यवस्था तथा किशोर न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम **2000** के अन्तर्गत किशोरों के लिए सम्प्रेषण गृह, किशोर गृह, विशेष गृह, सुधार विद्यालय तथा वोस्टल संस्थायें आदि के प्रावधान किये गये। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे उपचार एवं सुधार सम्बन्धी सुझाव दिये जा सकते हैं जैसे-

1. उन आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को समाप्त करना जो किशोरों को अपचारी बनाने से रोक सकें।

2. उन असामाजिक प्रवृत्तियों को रोकना जिनसे किशोर का झुका उस ओर होता है जिस ओर अपराध का गहरा दलदल है।

3. सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों को चाहिए कि ऐसी कार्यप्रणाली को अपनाये कि जिससे समाज में जागरूकता पैदा हो, और समाज द्वारा कोई भी किशोर अपराध के क्षेत्र में प्रवेश न करे।

वर्तमान में किशोर अपचारिता के सन्दर्भ में निम्नवत् संस्थायें कार्यरत हैं-

1. विशेष गृह:- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम **2000** की धारा **9** में विधि विवादित किशोरों के लिए राज्य द्वारा विशेष गृह स्थापित किये जाने का प्रावधान है, जिसमें निवास की सुविधा, भरण-पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाओं की व्यवस्थ की गई है।

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

2. आशय गृह:- उपेक्षित और अभिव्यक्त किशोरों को नियमित सुरक्षात्मक देखरेख के लिए नवीन अधिनियम **2000** की धारा **37** में समुचित व्यवस्था की गई है। इन गृहों में बालक को उचित अनुशासन में रखा जाता है ताकि वे अपने भावी जीवन में सुधार एवं बदलाव ला सकें।

3. वोस्टल संस्थायें:- किशोरों के उपचार हेतु वोस्टल भी एक सुधार संस्था है। इसकी उत्पत्ति इंग्लैण्ड की वोस्टल नाम गाम्र से **1902** में सर्वप्रथम रोचेस्टर कारगार को बालकों के सुधार ग्रह में परिवर्तन किये जाने से मानी जाती है भारत में इनकी स्थापना वोस्टल स्कूल एण्ड रिफामेटरी स्कूल एक्ट **1897** के अन्तर्गत की गई है जहाँ दोषी ठहराये गये विधि विवादित किशोर को उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए रखा जाता है। वर्तमान में देश भर में अनेको वोस्टल संस्थाएं कार्यरत है महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रा, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यो ंमें प्रभावी ढंग से कार्यकरती है। उदयपुर का विद्याभवन एक प्रकार की वोस्टल संस्था के ही अनुरूप है। इसीप्रकार दिल्ली, सूरत, धारवाड़ आदि स्थानों में नेक स्वयं सेवी संस्थाएं बाल कल्याण हेतु कार्य कर रही हैं तथा सन् **1950** में भारत में स्थापित ''अखिल भारतीय अपराध समिति'' किशोर अपचारिता के निवारण की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है।

4. संप्रेषण ग्रह - इसके अन्तर्गत किशोरों के लिए निवास सुविधा, भरण पोषण और चिकित्सा परीक्षा तथा उपचार की व्यवस्था जैसी उपयोगी एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

5. प्रमाणित विद्यालय- वर्तमान प्रमाणित विद्यालय **19**वीं सदी में कार्यरत सुधार गृहों काा ही उपान्तिरित रूप है जिसमें लावारिस, उपेक्षित या अपचारी बालकों को रखा जाता है तथा यह राज्य द्वारा संरक्षित होते हैं और यहाँ ऐसे किशारों को रखा जाता है जो परिवीक्षा पर छोड़े जाने के योग्य नहीं होते हैं। इसमें रखे जाने की समयावधि सामान्यताः **6** माह से **3** वर्ष तक की होती है। व्यावहारिक रूप से प्रायः अवधि की समाप्ति से पूर्व ही छोड़ दिया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि भारत में किशोर अपचारिता के प्रति उपचारात्मक सेवा अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुई है और अपचारिता से पीड़ित किशोरों में भी काफी बदलाव आया है फिर भी सरकार को चाहिए कि वह सुधारक संस्थाओं के साथ-साथ उन परिस्थितियों का भी निराकरण करने के लिए आवश्यक कार्य योजना एवं नीतियो का अनुसरण करें, जिससे समाज में अपचारिता शब्द का कलंक मिट सके।

किशोर न्याय में पुलिस की भूमिकाः-

प्रायः यह सवर्वविदित है कि अपचारी का सर्वप्रथम सम्पर्क पुलिस से होता है क्योंकि पुलिस ही अपचारी की भार साधन (ज्मे ब्दहम) करके बाद में किशोर गृह भेजती है अतः बाद में ही किशोर न्याय बोर्ड या अन्य संस्थायें अपनी भूमिका निभाते हैं परन्तु प्रशासनिक दृष्टि से केवल पुलिस संगठन ही बढ़ती किशोर अपचारिता को नियन्त्रण में लाने के लिए समर्थ एवं उपयुक्त है। वर्तमान किशोर न्याय अधिनिध्म **2000** की धारा **63** में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में विशेष

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

पुलिस थाने में एक किशोर न्याय इकाई हो तथा ऐसे पुलिस अधिकारी को ''किशोर कल्याण पुलिस अधिकारी'' कहा जाये। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में पहले से ही ऐसी विशेष पुलिस इकाईयां कार्यरत है जो इसके प्रति महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहीह हैं। भारत सरकार द्वारा महिला कारावासियों हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर ने सन् **1988** में प्रेषित रिपोर्ट में कहा था किशोर अपराधियों के लिये महिला पुलिस को परिनियोजित करना उपयुक्त माना था। क्योंकि वे परिस्थितियों को शान्ति से सुलझाने में पुरूषों की अपेक्षा अधिक दक्ष होती हैं। अन्ततः किशोर अपचारिता की प्रवृत्ति को ¬प्रारम्भ से रोकने हेतु सर्वात्तम उपाय यह है कि घरों और विद्यालयों में इनकी शिक्षा और बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होती है उसमें ऐसी परिस्थितियों को न सन्दर्भित किया जाये जिस कि पारिवारिक अवयस्कों पर बुरा प्रभाव पड़े और वे उपेक्षा या ग्लानि की भावना से हतोत्साहित ना हो और कुसंगति में ना पड़े और यह भी दायित्व बनता है कि कोई किशोर जो लावारिस या दैवी आपदा के कारण उपेक्षित हुआ है उसे पारिवारिक स्तर पर ही संरक्षण प्रदान किया जाये तो ऐसी समस्याओं का जन्म ही हो।

निष्कर्ष **:**

यह सर्वविदित है कि उपचारात्मक दण्ड पद्धति के अन्तर्गत अपराधी की परिस्थितियों का विश्लेषण करके उसके व्यक्तिशः आवश्यकताओं के अनुरूप उसे दण्डित किया जाता है क्योंकि यही उपचारात्मक पद्धति का मूल तत्व है तथा ग्रेविल मिस्टाल ने भी अपने संदेश में यही कहा था कि आज हमारे लिये सबसे आवश्यक कार्य बच्चों को संरक्षित करना है तथा उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे वे दुर्गुणों से दूर रहे और वह सद्गुणी बने क्योंकि वे ही राष्ट्र के भविष्य हैं। गुरूदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर तथा पं. जवाहर लाल नेहरू जी ने भी बालकों के प्रति सहानुभूति एवं उनके चहुंमुखी विकास के लिए ऐसी कार्ययोजनाओं को तैयार करने पर जोर दिया जिससे वे किशोर अपचारिता के क्षेत्र में प्रवेश न करें।

भारत से किशोर अपचारिता वास्तव में अन्य विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है फिर सरकार ने इसमें उपयुक्त निवारण के लिये आवश्यक एवं यथास्थिति के अनुरूप् अधिनियमों को लागू किया तथा ऐसी संगठित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की स्थापना भी की जिसके अन्तर्गत ऐसे विधि विवादित किशोर उचित संरक्षण पा सकें तथा भावी जीवन में एक सार्थक जीवन जी सकें, यह पूर्णतया सत्य है कि बालक आदियुगीन जैसे का वैसा ही अबोध एवं निर्विकार है यदि उसे उस समय सावधानी पूर्वक सदाचारी डांचे में ढाला जाये तो उनकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं अध्यात्मिक मनोवृत्तियों का सर्वांगीण विकास होगा।

प्रायः यह देखा गया है कि तमाम विधानों के बावजूद वर्तमान में किशोर अपचारिता का स्तर बढ़ रहा है और आये दिन किशोर नये-नये अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले वर्ष मुम्बई के पाँच सितारा होटल में हुए आतंकवादी हमले में अभियुक्तों की ज्यादातर उम्र किशोर अपचारिता वाली थी जिसके अन्तर्गत उन्हें आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया गया था।

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

अपराधा और अपराम निवारण के विभिन्न माध्यमों को देखते हुए यह कहना उपयुक्त होगा कि इसके समग्र निवारण के लिए राष्ट्र स्तर पर ऐसे सुसंगठित संगठनों की स्थापना करना समाचीन होगा जिससे इस विश्वव्यापी समस्या का निदान किया जा सके तथा ऐसे शोध संस्थान तथा संस्थाओं का क्रियान्वयन ऐसे हो कि वे अपने प्रधारक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाये तथा अन्य ऐसे कारगर योजनायें क्रियान्वितज करना होगा जैसे-

1. उन परिस्थितियों को उजागर करना जिससे अपचारिता अग्रसरित होती है तथा उसके निवारण हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाना जिससेसस उचित एवं सार्थक परिणाम निकले।

2. समाज में ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को पैदा करें जिससे कमजोर, निर्धन तथा उपेक्षित किशोर उचित संरक्षण एवं सहायता पा सकें।

अन्त में यह कहना उपर्युक्त होगा कि हमें ऐसे प्रयास करना होगा कि अपचारिता के कारण शीघ्र पकड़ में आ जाये और तत्कालीन उनके निवारण हेतु निश्चयात्मक कार्यवाही की जा सके तथा ऐसा वातावरण बनाया जाये जिससे किशोर उससे दूर रहे तथा उन्हें अपचारी होने से बचाया जा सके तथा राज्य द्वारा किशोर न्याय व्यवस्था में पुलिस प्रशासन को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये कि उनमें प्राथमिक स्तर पर ही इसको निवारित कर सके तथा समाज में इसे अभियानों का क्रियान्वयन किया जाये जिससे बालकों का विकास हो और वे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में मजबूत एवं निरोग हो सकें।

संदर्भिका -

1. पाण्डेय, जय नारायण, ''भारत का संविधान'', सेन्ट्रल ला एजेन्सी, 55वां संस्करण, 2023
2. अग्रवाल, डा. एच.ओ., ''अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार'', सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन, 7वां संस्करण, 2023
3. केसरी, डा. यू.पी.डी. ''प्रशासनिक विधि'', सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन, 218
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015
5. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958
6. परांजपे, डा. ना.वि., ''अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन एवं प्रपीड़नशास्त्र'', सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन, 10वां संस्करण, 2022
7. जाखड, दिलीप ''मानव अधिकार'', यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा०) लि० जयपुर, 2008
8. बाले बसन्ती लाल, ''भारतीय दण्ड संहिता'', 2007
9. बुस, डी.डी., ''भारत का संविधान एक परिचय'', 13वां संस्करण, 2020
10. बाले बसन्ती लाल, ''भारत का संविधान'', संस्करण 2018
11. जैन, एम.पी., ''इंडियन कांस्टीट्यूशन ला'', 8वां संस्करण, 2020।
12. सिंह, अवतार, ''साक्ष्य विधि'', 20वां संस्करण 2015

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

13. मिश्रा, सूर्य नारायण, ''भारतीय दण्ड संहिता'', **26**वां संस्करण **2017**
14. अग्रवाल, एच.ओ., ''अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार'', **13**वां संस्करण **2013**
15. रतन लाल एण्ड धीरज लाल, ''सिविल प्रक्रिया संहिता'', **22**वां संस्करण **2017**
16. कपूर, डा. ए.के., ''मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि'', सेन्ट्रल एजेन्सी **31**वां संस्करण **2016**
17. जोषी, के.सी., ''अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार'', एस्टर्न बुक कम्पनी लखनऊ, तृतीय संस्करण **2016**
18. चैहान, एम.एस., ''अपराधशास्त्र एवं अपराधिक प्रशासन'', सप्तम संस्करण **2003**
19. चतुर्वेदी, डा. मुरलीधर, ''अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र'', नवम् संस्करण **2012**
20. प्रसाद, अनिरुद्ध, ''विधिशास्त्र के मूल सिद्धान्त'', तृतीय संस्करण **20074**
21. मिश्र, सूर्य नारायण, ''दण्ड प्रक्रिया संहिता'', बीसवां संस्करण **2003**
22. प्रसाद, अनिरुद्ध, ''विधिशास्त्र के मूल सिद्धान्त'', चतुर्थ संस्करण **2010**
23. यादव, राजाराम, ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम'', बीसवां संस्करण,
24. सिंह, डा. अवतार, ''साक्ष्य विधि'', इक्कीसवां संस्करण **2018**

वाद:-

1. इन री होम, यू॰एस॰ **1955**

2. इन री होम, यू॰एस॰ **1967**

3. ए॰आई॰आर॰ ला (एस॰सी॰) **1979-7-10**

4. ए॰आई॰आर॰ **2037, 1982** एस॰सी॰आर॰**(1) 686**

5. ए॰आई॰आर॰ **1988, 414** एस॰सी॰आर॰**(2) 234**

6. ए॰आई॰आर॰ **1997,** एस॰सी॰सी॰ **114,** एस॰सी॰ **3021**

7. ए॰आई॰आर॰ **2000** लाज (एम॰पी॰एच॰) **2000-10-67**

8. ए॰आई॰आर॰ **2005,** एस॰सी॰सी॰ **2021,** एस॰सी॰ **404**

9. ए॰आई॰आर॰ **2005** अपील (सी॰आर॰एल॰) **210 3749**

10. ए॰आई॰आर॰ एस॰सी॰ **2264**

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal
11. ए॰आई॰आर॰ **2008 (15)** एस॰सी॰सी॰ **223**

समाचार पत्र:-

1. अमर उजाला

2. दैनिक जागरण

3. हिन्दुस्तान

4. द टाइम्स आफ इण्डिया

बेवसाइट्स:-

1. **www.india.com**
2. **www.timesofindia.com**
3. **www.drishtiias.com**

Author Name: अरविन्द कुमार एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 11/01/2024
Publication Date: 29/01/2024